

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated..... 3 जुलाई, 2013

सं.सी-42/विविध/2013-एमपीलैड्स (भाग-I)

सेवा में,


1. आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों की सूची में 'खरंजा' शामिल करना ।

महोदय,

इस मंत्रालय को यह स्पष्ट करने हेतु संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि क्या 'खरंजा' बिछाया जाना एमपीलैड्स के अंतर्गत पात्र कार्य है। एमपीलैड्स का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों पर आधारित टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। 'खरंजा' संबंधी कार्य टिकाऊ परिसंपत्ति के रूप में उपयुक्त कार्य नहीं है।

2. इसलिए, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुबंध II के क्र.सं. 14 में निषिद्ध कार्यों की सूची में 'खरंजा बिछाए जाने' को शामिल करने का निर्णय लिया गया है जिसे अब "नालियों इत्यादि के निर्माण तथा खरंजा बिछाया जाना" पढ़ा जाए।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(डी. साईबाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें।